न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अराँई (अजमेर)

विधिक राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 65/2025

1. हनुमान पुत्र गोपीलाल, जाति ब्राह्मण, उम्र करीब 65 वर्ष, निवासी ग्राम कटसूरा, तहसील अराँई, जिला अजमेर, राजस्थान

– प्रार्थीगण

बनाम

1. गणेश पुत्र उगमा जाति जाट, निवासी ग्राम कटसूरा, तहसील अराँई, जिला अजमेर, राजस्थान
2. महावीर पुत्र बद्री जाति जाट, निवासी ग्राम कटसूरा, तहसील अराँई, जिला अजमेर, राजस्थान
3. श्योराज पुत्र बद्री जाति जाट, निवासी ग्राम कटसूरा, तहसील अराँई, जिला अजमेर, राजस्थान
4. रामा पुत्र किशना जाति गुर्जर, निवासी ग्राम कटसूरा, तहसील अराँई, जिला अजमेर, राजस्थान
5. घीसा पुत्र किशना, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम कटसूरा, तहसील अराँई, जिला अजमेर, राजस्थान
6. मांगू पुत्र उगमा जाति जाट, निवासी ग्राम कटसूरा, तहसील अराँई, जिला अजमेर, राजस्थान
7. मान्दू पुत्र गोपी जाति जाट, निवासी ग्राम कटसूरा, तहसील अराँई, जिला अजमेर, राजस्थान
8. शैकिन पुत्र गोपी जाति जाट, निवासी ग्राम कटसूरा, तहसील अराँई, जिला अजमेर, राजस्थान
9. संतोष पुत्री गोपी जाति जाट, निवासी ग्राम कटसूरा, तहसील अराँई, जिला अजमेर, राजस्थान
10. हरदयाल पुत्र बिशना जाति जाट, निवासी ग्राम कटसूरा, तहसील अराँई, जिला अजमेर, राजस्थान
11. श्रीमान तहसीलदार महोदय, तहसील अराँई, जिला अजमेर, राजस्थान अप्रार्थीगण

अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम 1956 के तहत

निर्णय दिनांक 21/1/26

वकील वादी श्री योगेश शर्मा एडवोकेट

प्रार्थीगण की और से एक प्रार्थना पत्र वकील श्री योगेश शर्मा एडवोकेट .द्वारा अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया गया । वकील वादी ने निवेदन किया कि प्रार्थी की कृषि भूमि वाके ग्राम रघुनाथपुरा, पटवार हल्का कटसूरा, भू. अ.नि.क्षेत्र अराँई, तहसील अराँई, जिला अजमेर राजस्थान में निम्न विवरण की स्थित है :–

खाता संख्या नया/पुराना	खसरा संख्या	क्षेत्रफल हैक्टेयर	किस्म
162/151	280/18	1.0113	बंजर 1 0.8899 बा.अव्वल 0.1214
कुल खसरा	01	1.0113 हैक्टेयर	

उपरोक्त कृषि आराजी में प्रार्थी राजस्व रिकार्ड अनुसार एकल खातेदार, काबिज, काश्तकार है। प्रार्थी अपनी उपरोक्त वर्णित खातेदारी कृषि भूमि पर बदस्तूर खातेदार काश्तकार काबिज चले आ रहें है, तथा प्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी का अमल दरामद है तथा राजस्व नक्शा ट्रेस में भी प्रार्थी की भूमि का इन्द्राज चला आ रहा है। प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि जो निम्नानुसार स्थित है :–

(अ)– कृषि भूमि खसरा संख्या 280/18: अप्रार्थी संख्या 4 ग्राम रघुनाथपुरा में स्थित खसरा संख्या 283/19 क्षेत्रफल 0.8009 हैक्टेयर भूमि के रिकार्डेड खातेदार काबिज काश्तकार है. उक्त भूमि खसरा संख्या 283/19 प्रार्थी की भूमि खसरा संख्या 280/18 के पूर्व दिशा में स्थित है। तथा अप्रार्थी संख्या 5 ग्राम रघुनाथपुरा में स्थित खसरा संख्या 284/19 क्षेत्रफल 0.3236 हैक्टेयर भूमि के रिकार्डेड खातेदार, काविज काश्तकार है. उक्त भूमि खसरा संख्या 284/19 प्रार्थी की भूमि खसरा संख्या 280/18 के पूर्व दिशा में स्थित है। एवंम् अप्रार्थी संख्या 11 ग्राम रघुनाथपुरा में स्थित खसरा संख्या 37 की भूमि के रिकाडेड खातेदार, काबिज काश्तकार है, उक्त भूमि खसरा संख्या 37 प्रार्थी की भूमि खसरा संख्या 280/18 के पूर्व दिशा, दक्षिण दिशा में स्थित है। जो सरकारी भूमि है। तथा अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 ग्राम रघुनाथपुरा स्थित खसरा संख्या 18 क्षेत्रफल 1.0113 हैक्टेयर भूमि के रिकार्डेड खातेदार, काबिज काश्तकार है, उक्त भूमि खसरा संख्या 18 प्रार्थी की भूमि खसरा संख्या 280/18 के उत्तर दिशा में स्थित है। तथा

WD

प्रार्थी स्वंय की खसरा संख्या 2833/663 क्षेत्रफल 0.4530 हैक्टेयर भूमि के रिकार्डेड खातेदार, काबिज काश्तकार है, उक्त भूमि खसरा संख्या 2833/663 प्रार्थी की भूमि खसरा संख्या 280/18 के पश्चिम दिशा में स्थित है। अप्रार्थीगण संख्या 1 व 6 लगायत 10 ग्राम रघुनाथपुरा में स्थित खसरा संख्या 38 क्षेत्रफल 1.3753 हैक्टेयर भूमि के रिकार्डेड खातेदार, काबिज काश्तकार है, उक्त भूमि खसरा संख्या 38 प्रार्थी की भूमि खसरा संख्या 280/18 के दक्षिण दिशा में स्थित है।

प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 10 के मध्य उपरोक्त भूमियों का सीमा विवाद चला आ रहा है तथा अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 10 आये दिन प्रार्थी की भूमि की सीमाओं में हस्तक्षेप करते रहते है, जिससे प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 10 के मध्य लडाई झगडा होता रहता है।

अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 10 आये दिन प्रार्थी की भूमि की सीमाओं से छेडछाड करते रहते है तथा उसकी सीमाओं के संबंध में विवाद पैदा करते है। उपरोक्त खसरान् के मध्य सीमा विवाद होने की वजह से अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 10 द्वारा आये दिन प्रार्थी के साथ उसके खातेदारी भूमि के कृषि भूमि पर विवाद उत्पन्न करने की वजह से प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 10 के कार्यालय में सीमाज्ञान करवाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर पटवारी महोदय, कटसूरा द्वारा दिनांक 18.06.2020 को सीमाज्ञान कर मौका पर्चा बनाया गया। जिसके पश्चात् भी उक्त अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी की भूमि की सीमाओं को लेकर दिनांक 16.11.2025 को विवाद किया गया। वाद कारण दिनांक 16.11.2025 को अप्रार्थीगण द्वारा सीमाओं के विवाद को लेकर प्रार्थी के साथ गाली गलौच करने से उत्पन्न हुआ है तथा प्रार्थी के कृषि कार्य में अप्रार्थीगण द्वारा बाधा कारित करने तथा प्रार्थी के साथ सीमाओं को लेकर वाद विवाद करते रहने से वाद कारण सतत् रूप से जारी है।प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 10 के मध्य स्पष्ट रेवेन्यू नक्शा ट्रेस राजस्व रिकार्ड में दर्ज है इसलिये प्रार्थी को उपरोक्त राजस्व नक्शा ट्रेस अनुसार सीमाओं के विवाद के निस्तारण हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 10 की खातेदारी भूमियों के राजस्व नक्शा ट्रेस अनुसार सीमाओं का भौतिक सत्यापन करवाकर पत्थरगढी करवायी जानी न्यायहित में आवश्यक है ताकि सीमाओं का विवाद निस्तारित हो सके। अप्रार्थी संख्या 11 राजस्व रिकार्ड संधारक है तथा राज्य सरकार का भू–अभिलेख प्रतिनिधि है, इसलिये उपरोक्त सीमा विवाद एवं पत्थरगढी हेतु उसे आवश्यक पक्षकार के रूप में संयोजित किया गया है। प्रार्थी की वाके ग्राम रघुनाथपुरा, पटवार हल्का कटसूरा, भू.अ.नि.क्षेत्र अराँई, तहसील अराँई, जिला अजमेर स्थित कृषि खसरा संख्या 280/18 क्षेत्रफल 1.0113 हैक्टेयर की सीमाओं का भौतिक सत्यापन करवाकर, पत्थरगढी कराने का निवेदन किया है । वाद कारण निरन्तर जारी है।

प्रकरण दिनांक 8.12.2025 को दर्ज रजिस्टर किया गया । तथा नोटिस तामिली हेतु भिजवाये गये। तामिली रिपोर्ट प्राप्त हुई । दिनांक 2.1.2026 को बावजूद तामिली अनुपस्थित रहने पर को प्रतिवादी गण विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई । बहस सुनी गई ।

हमारे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। :पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन व मनन किया गया । वकील वादी की बहस सुनी गई । प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम रघुनाथपुरा पटवार हल्का कटसूरा तहसील अराई के खसरा संख्या 280/18 क्षेत्रफल 1.0113 हैक्टेयर भूमि का राजस्व रिकार्ड अनुसार मौके पर नाप चौक कर पत्थरगढी करने हेतु तहसीलदार अरांई को कमिश्नर फीस 1000/–रु पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण द्वारा कमिश्नर फीस 1000/– रु जमा करवाने पर वे मौके पर उपस्थित होकर उक्त वाद ग्रस्त भूमि का पक्षकारान की उपस्थिति में नाप चौक कर पत्थरगढी के आदेश दिये जाते है।

आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 21.1.26........को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
अंराई (अजमेर)